I/2173/2024

संख्या 2173/ जी0एस0(शिक्षा) / A11-124 / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड   देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240112031858 दिनांक 30.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षाशास्त्र)	60 सीट प्रति विषय	2024–25

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- महाविद्यालय को स्थापित हुए 10 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु महाविद्यालय में भवन एवं फैकल्टी मानकानुसार अपूर्ण है। विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भवन एवं फैकल्टी मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय में भवन एवं फैकल्टी अपूर्ण होने का कारण, पृथक से पत्र प्रेषित करते हुए स्पष्ट करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम / नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2024 02:27 pm

I/2173/2024

दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 27-08-2024 15:36:47

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 2173/जी0एस0(शिक्षा)/**A11-124/2023** तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
— ह0 -

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2024 02:27 pm